बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संचिका संख्या–17/एल 1–26/2025–   /पटना, दिनांक–

डा० जावेद अख्तर, सह–प्राध्यापक(In-Situ), सर्जरी विभाग, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को **दिनांक–12.09.2025 से 10.10.2025** तक की अवधि में विदेश (सउदी अरब) की यात्रा के लिए निम्न शर्तों के साथ स्वीकृति/अनुमति प्रदान की जाती है।

1. डा० अख्तर, विदेश प्रवास के समय अपने पेशे से संबंधित अथवा किसी प्रकार का कार्य धनोपार्जन हेतु नहीं करेंगे।
2. डा० अख्तर, इस यात्रा में होने वाले सम्पूर्ण व्यय का वहन निजी श्रोत से करेंगे।
3. डा० अख्तर, विदेश जाने से पूर्व विदेश प्रवास की अवधि में अपने कार्यो के निष्पादन की व्यवस्था कर ही विदेश के लिए प्रस्थान करेंगे।
4. डा० अख्तर, को उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात् तुरंत वापस लौटकर पदस्थापित स्थान पर योगदान कर लेना होगा, अंन्यथा सेवा शर्तों के अधीन दंड के भागी होंगे।
5. डा० अख्तर, विदेश यात्रा से लौटने के पश्चात् अपने पार–पत्र की छायाप्रति विभाग को उपलब्ध करायेगे।
6. इस यात्रा अवधि का विनियमन उनको देय अवकाश से स्वीकृत किया जायेगा।
7. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक–17/एल 1–26/2025 – 1030(17)   /पटना, दिनांक– 16.09.25

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले० एव ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्राचार्य, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/ डा० जावेद अख्तर, सह–प्राध्यापक(In-Situ), सर्जरी विभाग, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

16/09/2025

विशेष कार्य पदाधिकारी।

D/M /Passport